

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

— कार्यालय आदेशः—

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या—०५ में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः—

क्र. सं.	नाम व पदरथापन रथान	विषय—व्याख्याता	अवधि	स्थान व पद जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है।
1	2	3	4	5
1	सुमन — रावाउमावि. पालडी, लक्ष्मणगढ़, सीकर	भूगोल	माह जनवरी 2021 से आगामी आदेशों तक	राउमावि. रावड़ियाद, परवतसर, नागौर भूगोल (व्याख्याता) के स्वीकृत रिक्त पद से
2	सतपाल सिंह तंवर — रा. नवीन उमावि. अलवर	भूगोल	माह जनवरी 2021	रावाउमावि. एसएमडी, अलवर संगीत (व्याख्याता) के रवीकृत रिक्त पद से

उपर्युक्त अवधि में सम्बन्धित व्याख्याता द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निरत्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावें।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक— शिविरा /माध्य/ संरथा /सी—५/ वेतन व्यवस्था /2020—21/ १२५ दिनांक— ०४ /०४ /२०२१

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
4. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/कार्मिक.....।
5. सिर्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर